प्रेस नोट–209 / 2026
दिनांक 16.04.2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 की बस्ती इकाई द्वारा की गयी ट्रैप की कार्रवाई

मा० मुख्यमंत्री उ0प्र0, **श्री योगी आदित्यनाथ जी** द्वारा भ्रष्टाचार के विरुद्ध **"जीरो टॉलरेंस"** की नीति तथा पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, **श्री राजीव कृष्ण** के सख्त निर्देशों के अनुपालन में भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 द्वारा निरंतर प्रभावी एवं कठोर कार्रवाई की जा रही है।

उक्त निर्देशों के क्रम में आज दिनांक 16.04.2026 को **भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 की बस्ती इकाई** द्वारा श्री रविन्द्र कौशल निवासी ग्राम पटखौली नानकार थाना इटवा जनपद सिद्धार्थनगर से शिकायतकर्ता की पत्नी का आगनवाड़ी सहायिका के पद पर नियुक्ति कराने के एवज में अवैध धनराशि की मांग के सम्बन्ध में की गयी शिकायत पर निरीक्षक श्री उदय प्रताप सिंह यादव के नेतृत्व में बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग के कार्यालय ब्लाक भनवापुर सिद्धार्थनगर से **कनिष्ठ सहायक मनीष कुमार (बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग)** पुत्र सुभाष चन्द्र निवासी ग्राम कुरमौल पोस्ट कटार सोयम थाना धनघटा जनपद सिद्धार्थनगर को **15 हजार रूपये रिश्वत** लेते हुए गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

प्रेस नोट–210 / 2026
दिनांक 16.04.2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

एसटीएफ–अन्तर्राष्ट्रीय कुख्यात अपराधी शुभम लोनकर गैंग द्वारा प्रसिद्ध फिल्म निर्माता रोहित शेट्टी के निवास पर दहशत व रंगदारी के उद्देश्य से की गयी फायरिंग की घटना में वांछित अभियुक्त प्रदीप कुमार उर्फ गाठ आगरा से गिरफ्तार।

दिनांक 01–02–2026 रात्रि प्रसिद्ध फिल्म निर्माता रोहित शेट्टी के जूहू स्थिति शेट्टी टावर पर कुख्यात अपराधी शुभम लोनकर गैंग के इशारे पर आम जनमानस व फिल्म उद्योग में दहशत उत्पन्न करने के उद्देश्य से की गयी फायरिंग की घटना में वॉछित अभियुक्त प्रदीप कुमार उर्फ गाठ को एसटीएफ उ0प्र0 एवं क्राइम ब्रांच मुम्बई पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में आगरा से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण :–

1– प्रदीप कुमार उर्फ गाठ पुत्र राम सिंह निवासी न्यू बस्ती पक्की तलैया अशोक नगर बिजौली बाह थाना बाह कमिश्नरेट आगरा।

दिनांक गिरफ्तारी का स्थान, समय–

दिनांक 16–04–2026 समय 15.56 बजे छदामी मठ्ठ आगरा इटावा रोड थाना क्षेत्र बाह आगरा।

कुख्यात अन्तर्राष्ट्रीय अपराधी शुभम लोनकर गिरोह द्वारा फिल्म जगत, उद्योगपतियों एवं आमजनमास में रंगदारी व वर्चस्व स्थापित करने के उद्देश्य से शूटरों के माध्यम से प्रसिद्ध फिल्म निर्माता व व्यवसायी रोहित शेट्टी के घर पर दिनांक 01–02–2026 रात्रि फायरिंग की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में मु0अ0सं0–19 / 2026 धारा 109, 61(2), 238, 3(5), बीएनएस 3 / 25 / 27 आर्म्स एक्ट व 37(1), 37(2), 135 महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम 1951 व 3(1)(II), 3(2), 3(4) मोक्का अधिनियम क्राइम ब्रांच मुम्बई में अभियोग पंजीकृत हुआ था। मुम्बई क्राइम ब्रांच द्वारा वॉछित अपराधियों के गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे थे। उपरोक्त प्रयासों के क्रम में साक्ष्य संकलन व तकनीकी विश्लेषण के आधार पर मुम्बई पुलिस द्वारा स्पेशल टास्क फोर्स उ0प्र0 से अपराधियों की गिरफ्तारी में सहयोग हेतु अनुरोध किया गया।

उक्त अपराध की गम्भीरता के दृष्टिगत श्री राकेश, अपर पुलिस अधीक्षक फील्ड इकाई आगरा के पर्यवेक्षण में एक टीम गठित करते हुए क्राइम ब्रांच मुम्बई पुलिस को आवश्यक सहयोग प्रदान करने हेतु निर्देशित किया गया।

दिनांक 16–04–2026 को एस0टी0एफ0 यूनिट आगरा से मु0आ0 विमल कुमार, मु0आ0 कृष्णवीर सिंह व आरक्षी मानवेन्द्र उपाध्याय एवं क्राइम ब्रांच मुम्बई पुलिस के असिस्टेंट पुलिस इस्पेक्टर श्री अमोल माली, उ0नि0 श्री स्वपिप्नल काले की टीम द्वारा संयुक्त रूप से अभिसूचना संकलन किया जा रहा था, इस दौरान अभियुक्त प्रदीप कुमार उर्फ गाठ को छदामी मठ्ठ आगरा इटावा रोड थाना बाह के पास होने की सूचना पर एसटीएफ टीम द्वारा उक्त स्थान पर पहुॅचकर संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए अभियुक्त उपरोक्त को आवष्यक बल प्रयोग करके गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछतॉछ में बताया कि शुभम लोनकर गैंग के फेसबुक, इस्टांग्राम पर पोस्ट देखकर एवं उससे प्रभावित होकर अपना बचर्स्व दिखाने की योजना बनाई अपने साथी सनी, दीपू, सोनू के साथ रोहित शेट्टी के घर घटना के समय साथ गया था मुम्बई में दिनांक 01–02–2026 को हुई उक्त घटना में शामिल प्रदीप शर्मा उर्फ गोलू, दीपक, विष्णु कुशवाहा एवं अन्य 05 अभियुक्तों को पूर्व में एसटीएफ उ0प्र0 एवं मुम्बई क्राइम ब्रान्च की संयुक्त कार्यवाही में गिरफ्तार किया जा चुका है, गिरफ्तारी से बचने के लिए इधर–उधर छिपकर रह रहा था।

गिरफ्तार अभियुक्त प्रदीप कुमार उर्फ गाठ को थाना बाह जिला आगरा में दाखिल करते हुए मा0 न्यायालय में पेश करने हेतु काइम ब्रांच मुम्बई पुलिस को सुपुर्द किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही क्राइम ब्रांच मुम्बई पुलिस द्वारा की जायेगी।

<u>जनपद अलीगढ़/थाना क्वार्सी</u>

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 10 लाख रूपये कीमत की चोरी के पीली–सफेद धातु के आभूषण**
- **चोरी के 60 हजार रूपये नगद आदि बरामद**

दिनांक 15.04.2026 को थाना क्वार्सी व थाना महुआखेड़ा की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर याकूतपुर मोड के पास से 02 अभियुक्तों 1–समीर उर्फ

सत्रू 2–सहरान उर्फ फैजान को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 10 लाख रूपये कीमत की चोरी के पीली–सफेद धातु के आभूषण, चोरी के 60 हजार रूपये नगद आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 02.04.2026 को थाना क्वार्सी क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना क्वार्सी पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण, रूपया आदि चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित है। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त समीर उर्फ सत्रू के विरूद्ध जनपद अलीगढ़ के विभिन्न थानो में चोरी आदि के 06 अभियोग एवं अभियुक्त सहरान उर्फ फैजान के विरूद्ध जनपद अलीगढ़ के विभिन्न थानो में चोरी, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 09 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना क्वार्सी पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–समीर उर्फ सत्रू निवासी निशातबाग थाना क्वार्सी जनपद अलीगढ़।

2–सहरान उर्फ फैजान निवासी निशातबाग थाना क्वार्सी जनपद अलीगढ़।

बरामदगी

1–लगभग 10 लाख रूपये कीमत की चोरी के पीली–सफेद धातु के आभूषण।

2–चोरी के 60 हजार रूपये नगद आदि।

जनपद बाराबंकी/थाना रामनगर

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 09 लाख 11 हजार 180 रूपये नगद आदि बरामद**

दिनांक 16.04.2026 को थाना रामनगर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर अभियुक्त मोनू को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी के 09 लाख 11 हजार 180 रूपये नगद आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 13.04.2026 को थाना रामनगर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना रामनगर पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद रूपया चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना रामनगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—मोनू निवासी तारापुर गुमान थाना रामनगर जनपद बाराबंकी।

बरामदगी

1—चोरी के 09 लाख 11 हजार 180 रूपये नगद आदि।

- **कमिश्नरेट लखनऊ (गैंगेस्टर एक्ट में लगभग 05 करोड़ 78 लाख 60 हजार रूपये कीमत की सम्पत्ति कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही)**

कमिश्नरेट लखनऊ पुलिस ने अभियुक्त 1—प्रमोद कुमार उपाध्याय 2—विनोद कुमार उपाध्याय पुत्रगण स्व0 हरिद्वार उपाध्याय निवासीगण राजागांव खरौनी थाना बांसडीह जनपद बलिया, हालपता बी—361 ओमेक्स सिटी थाना बिजनौर कमिश्नरेट लखनऊ द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गयी चल/अचल सम्पत्ति कीमत करीब 05 करोड़ 78 लाख 60 हजार रूपये को गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही अमल में लायी गयी।

- **कमिश्नरेट आगरा/थाना सदर बाजार (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 30 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

कमिश्नरेट आगरा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय आगरा द्वारा थाना सदर बाजार पर पंजीकृत अभियोग में धारा 103(1)/238 बीएनएस के अन्तर्गत अभियुक्त धीरज को आजीवन कारावास व 30 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद फतेहपुर/थाना बकेवर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद फतेहपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद फतेहपुर द्वारा थाना बकेवर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त रामसेवक उर्फ छोटा को आजीवन कारावास व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद औरैया/थाना सहायल (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 35 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद औरैया पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद औरैया द्वारा थाना सहायल पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366 व 376(3) भादवि सपठित धारा 4(2) पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त मिथुन को 20 वर्ष के सश्रम कारावास व 35 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

———————